शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल

संख्या: 1263/1–10–2017

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ :: दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: जनपद में बाढ़ कन्ट्रोल रुम 24X7 संचालित किए जाने विषयक।

महोदय,

कृपया राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या– 906/1–11–2017–7(जी)/2017, दिनॉक 14.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाढ़ राहत एवं प्रबंधन में जिलाधिकारी की भूमिका के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर राजस्व विभाग के अधीन 24X7 बाढ़ कन्ट्रोल रुम संचालित करते हुए उसमें गृह (पुलिस), सिंचाई, पशुधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं रसद विभाग के 3–3 सुयोग्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की 8–8 घण्टे की ड्यूटी 30 सितम्बर तक लगाई जाय। जनपदीय बाढ़ कन्ट्रोल रुम के प्रभारी अधिकारियों के रुप में जिलाधिकारी द्वारा 8–8 घण्टे के लिए 3 सुयोग्य अधिकारी तैनात किए जाएं।

3. कन्ट्रोल रुम में प्राप्त सूचनाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाय तथा उसे नियत पंजिका में दर्ज किया जाय। इस हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रोटोकॉल लगाते हुए जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी द्वारा ओरिएन्टेशन भी कर लिया जाय। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश के कन्ट्रोल रुम को ई–मेल rahat@nic.in पर तत्काल सूचनार्थ प्रेषित किया जाय तथा दूरभाष नम्बर 0522-2237515 पर भी अवगत कराया जाय।

4. कन्ट्रोल रुम के दूरभाष नम्बर तथा नोडल अधिकारी के दूरभाष नम्बर का दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

5. अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करते हुए उक्त कन्ट्रोल रुम संचालन के संबंध में संलग्न प्रारुप पर प्रमाण–पत्र दिनॉक 22.08.2017 की सायं 05:00 बजे तक राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के ई–मेल rahat@nic.in पर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner

संख्या एवं दिनॉक : तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पशुधन विभाग, गृह (पुलिस) विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(देवीदास)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद...................................... में राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित जिला स्तरीय बाढ़ कन्ट्रोल रुम में गृह (पुलिस), सिंचाई, पशुधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं रसद विभाग के सुयोग्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की 24X7 ड्यूटी लगा दी गई है। कन्ट्रोल रुम में सभी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रहें हैं तथा उन्हें समुचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3 सुयोग्य अधिकारियों को 8–8 घण्टे के लिए कन्ट्रोल रुम के प्रभारी अधिकारी के रुप में भी तैनात किया गया है। कन्ट्रोल रुम का दूरभाष नम्बर .... है।

दिनॉक :

नाम..

जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)

जनपद...

Scanned by CamScanner